13/12/23	पत्रा० आज पेश हुई। प्रार्थीगण मय वकील उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर दावा को डिक्री करवा लिया गया है अब प्रार्थना पत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है। पत्रा० फैसल हुआ। बाद तकमील हुक्म की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	[illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 67 / 2020
किस्म -- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 20.11.2020

1. रतनसिंह पुत्र श्री समन्दरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम परसवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर। नदबई

प्रार्थी / सायल

बनाम

1. समन्दरसिंह दत्तक पुत्र स्व. मुरली
2. छत्तर सिंह पुत्र समन्दर सिंह
3. दयाचन्द सिंह पुत्र समन्दरसिंह
4. सियाराम पुत्र समन्दरसिंह
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई तहसील नदबई(भरतपुर)
6. उप पंजीयक उप तहसील लखनपुर।

प्रमाणित फोटो प्रति

न्यायालय सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आरटीए

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। यह कि उपरोक्त उनवानी बादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी उम्मीद है।
2. यह कि विवादित आराजी खाता सं. 292 के आराजी खसरा नम्बरान 100 रकवा 0.85 है, 184 रकवा 0.30 है , 206 रकवा 0.20 है, 397 रकवा 0.34 है, 412 रकवा 0.33 हैं , 414 रकवा 0. 29 है, 68 रकवा 0.38 है, 689 रकवा 0.83 है, 72 रकवा 0.33 है, किता 10 रकवा कुल 4.14 है, व खाता सं. 291 के आराजी खसरा नम्बरान 1113 रकवा 0.15 है, 1114 रकवा 0.13 है, 1119 रकवा 0.19 है, 1123 रकवा 0.05 है, 1168 रकवा 0.15 है, 1174 रकवा 0.17 है, 1190 रकवा 0.63 है, 12 रकवा 0.15 है, 1227 रकवा 0.38 है, 1228 रकवा 0.38 है, 1277 रकवा 0. 42 है, 1282 रकवा 0.06 है, 1291 रकवा 0.16 है, 1303 रकवा 0.14 है, 1305 रकवा 0.04 है, 1308 रकवा 0.13 है, 405 रकवा 0.04 है, 442 रकवा 0.12 है, 446 रकवा 0.06 है, 466 रकवा 0.17 है, 471 रकवा 0.20 है, किता 21 कुल रकवा 3.93 है। कुल किता 31 रकवा कुल 8.06 है। वाके मौजा परसवारा पटवार क्षेत्र परसवारा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हन्तरा तहसील नदबई में स्थित है। उक्त हाल खसरा नम्बरान साबिक आराजी खसरा नम्बर 75 रकवा 3 बीघा 7 बिस्वा , 141 रकवा 1 बीघा 4 बिस्वा, 153 रकवा 16 बिस्वा, 289 रकवा 1 बीघा 7 बिस्वा , 303 रकवा 1 बीघा 6 बिस्वा , 304 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा , 54 सि. रकवा 2 बीघा

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

16 बिस्वा, 540 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा , 882 रकबा 12 बिस्वा, 883 रकबा 10 बिस्वा, 888 रकबा 15 बिस्वा, 892 रकबा 4 बिस्वा, 929 रकबा 12 बिस्वा, 978 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 979 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 1012 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 1016 रकबा 5 बिस्वा, 1023 रकबा 13 बिस्वा, 1035 रकबा 11 बिस्वा, 1037 रकबा 3 बिस्वा, 1040 रकबा 10 बिस्वा, 298 रकबा 3 बिस्वा, 332 रकबा 9 बिस्वा, 336 रकबा 5 बिस्वा, 353 रकबा 13 बिस्वा, 356 रकबा 16 बिस्वा, संम्वत 2028 की जमाबंन्दी खाता संख्या 117 के आधार पर बने है।

3. यह है कि विवादित आराजी गैर सायल स. 1 की स्वअर्जित आराजी नही है विवादित आराजी गैरसायल स. 1 को उसके दत्तक पिता मृतक मुरली से विरासतन प्राप्त हुई। और मुरली वादी का बाबा था। तथा विवादित आराजी सायल के बाबा मुरली से विरासत प्राप्त होने के कारण अविभाजित हिन्दू परिवार की कृषि भूमि होने के कारण उस पर परिवार के सभी तथ्यों का बराबर हक व हिस्सा जन्म से ही निहित है तथा विवादित आराजी पर सायल व गैर सायल काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा विवादित आराजी मे सायल व गैरसायल स. 1 लगायत 4 का समान हिस्सा पैत्रिक आधार पर 1/5,1/5 कानून है तथा सभी को अपने अपने हिस्से का उपयो व उपभोग करने का हक हासिल है जिसमें किसी को मदाखलत मजाहत करने का कोई हक हासिल नही है।

4. यह है कि सायल व गैरसायल सयुक्त रूप से उक्त विवादित आराजी पर काबिज होकर उपभोग व उपयोग में लेते चले आ रहे है, तथा समय–समय पर सयुक्त रूप से राशि खर्च करके निर्माण कार्य करवाया है तथा सायल व गैरसायल का समान हक व हिस्सा है सायल का उक्त आराजीयात बाबत् कानून अपने हक व हिस्से की जरिये अदालत अपने खातेदारी इन्द्राजात दर्ज करा पाने का अधिकारी है।

5. यह है कि गत कुछ अर्से से गैरसायल स. 1 अपने अन्य पुत्रों गैरसायल स. 2 लगायत 4 के बहकावे व प्रभाव में तथा उनके प्रभाव में आकर सायल को उक्त आराजीयत से महरूम करना चाहता हैं तथा उनके दवाव में आकर उक्त आराजीयत राजस्व रिकॉर्ड में गैरसायल स. 1 के नाम दर्ज होने के कारण उक्त आजीयात को रहन,वय,मुन्तकिल कर सायल को उसके हक व हिस्से व कब्जे से महरूम करना चाहते है जिसका कि कानून गैर सायल को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है।

6. यह है कि गैरसायल उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने व सायल को उससे महरूम करने की नियत से दिनांक 15.08.2020 को मौके पर बातचीत करने लगे तथा सायल ने जब उनसे ऐसा ना करने को कहा और विवादित आराजी पैत्रिक है। तथा उसमें मेरा 1/5 हिस्सा जन्म से ही निहित है तो गैरसायल स. 1 लगासयत 4 ने सायल को खुलेआम धमकी दी है कि कब्जा खातेदारी इन्द्राजात का लाभ उठाते हुए हम हिस्से से महरूम करके रहेगें। अगर गैर सायल द्वारा दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो सायल को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी नकद ना हो सकेगी। इसलिए सायल गैरसायल को जरिये अरथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करापाने का अधिकारी है कि वह विवादित आराजी को ताफैसला वाद रहन,वय,मुन्तकिल नहीं करे राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे व सायल को उसके 1/5 हिस्से से काश्त करने से नहीं रोकें।

7. यह कि प्राइमाफेसी केस सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता. फैसला मुकदमा मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी विवादित आराजी को ताफैसला वाद रहन,वय,मुन्तकिल नहीं करें राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे व सायल को उसके 1/5 हिस्से से काश्त करने से नहीं रोकें।

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत श्री गंगाप्रसाद एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत। कैवियट प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स. 3 दयाचंद की ओर से श्री ... एडवोकेट उपस्थित हुऐ। प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 4 की ओर से श्री लक्ष्मणसिंह एडवोकेट उपस्थित हुऐ। अप्रार्थीगण सं. 5 लगायत 6 विरूद्ध तामील बावजूद अनुपस्थित इकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अपने जबाब में निम्नांकित कथनो का वर्णन किया गया जो इसप्रकार है।

1. यह है कि प्रार्थना पत्र चरण स. 1 के मुताबिक उपरोक्त उनवानी दावा के न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया जाने के अतिरिक्त अन्य कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है। दावा के कतई कोई सफल होने की उम्मीद नही है दावा काबिज खारिजी के है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज विवादित आराजी वाके ग्राम परसवारा तहसील नदबई स्वीकार है। उक्त विवादित आराजी का वादी रिकॉर्डड खातेदार काश्तकार व काबिज है उक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर जो कि प्रार्थन पत्र की चरण स. 2 में दर्ज है सही होने के कारण स्वीकार है। उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थी स. 1 खातेदार व काबिज है। तथा प्रार्थी का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है। अप्रार्थी स. 1 के प्राकृतिक पिता का नाम मंगल था तथा उक्त आराजी अप्रार्थी स. 1 को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थी को कोई हक व हिस्सा उसके जीते जी नहीं बनता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 3 जिस तरीके से वर्णित की गई है, गलत होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थी स. 1के प्राकृतिक पिता का नाम मंगल था। उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी स. 1 को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा प्राप्त हुई है। तथा प्रार्थी के दत्तक पिता मुरली से प्राप्त हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण स. 1 व 2 लगायत 4 को कोई भी सयुक्त हिन्दू परिवार नही है। प्रार्थी व अप्रार्थी स. 2 लगायत 4 तीसो साल से अलग अलग रहते चले आ रहे है। तथा सयुक्त रूप से हिन्दू परिवार के रूप में नही रहते है। प्रार्थी का विवादित आराजी में जन्म से कोई हक व हिस्सा नही है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का आज तक कभी कब्जा नही रहा है ना ही काश्त रही है। प्रार्थी ने बाहर रह कर सरकारी सर्विस की है। विवादित आराजी में प्रार्थी को कोई भी 1/5 हिस्सा नही बनता है। अप्रार्थी स. 1 के चार पुत्रिया है जिसका नाम क्रमशः रामरती, सुशीला, तारावती व राजवती है। जिनको उक्त दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. एवं प्रार्थन पत्र 212 आर.टी.ए. में मुकदमा पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी अदालत श्रीमान के समच क्लीनहैण्ड से नही आया तथा तथ्यो को छिपा कर प्रार्थी द्वारा दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थी स. 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने व अप्रार्थी स. 1 व को मदाखलत मजाहमत से पाबन्द करा पाने का अधिकारी नही है।
4. यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का कोई भी सयुक्त हिन्दू परिवार नही है। तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स. 2 लगायत 4 से करीब 30 साल से अलग रहते चले आ रहे। प्रार्थी

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

विवादित आराजी पर जन्म से कोई हक व हिस्सा नही बनता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 की चार पुत्रियों रामरती, सुशीला, तारावती व राजेन्द्री को पक्षकार मुकदमा भी नही बनाया है। तथा तथ्यों को छिपाकर दावा व प्रार्थना पत्र लाया है। आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार न बनाये जाने से प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. एवं दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. काबिल खारिजी के है। प्रार्थी विवादित आराजी के 1/5 हिस्से पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने व खातेदारी दर्ज करापाने का अधिकारी भी नही है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 4 अप्रार्थी सं. 1 से करीब 30 साल से अलग रहते चले आ रहे है। तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के अप्रार्थी सं. 2 ल.4 के प्रभाव में व बहकावे में होने वश तथ्य अपने दावा व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. को रंगत देने की गरज से गलत लिखाया है। अप्रार्थी सं. 1 की उम्र 85 साल है। तथा उक्त आराजी से वह अपना जीवन यापन एवं बीमारी का इलाज करता रहता है। तथा उक्त आराजी को उसने दीगर व्यक्तियों को काश्त पर दे रखा है। तथा अप्रार्थी सं. 1 विवादित आराजी को किसी भी व्यक्ति को बेचान व मुन्तकिल नही कर रहा है। प्रार्थी का विवादित आराजी में कोई भी हिस्सा व कब्जा काश्त नही है। इसलिए विवादित आराजी से महरूप किये जाने को कोई प्रश्न पैदा नही होता है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 6 गलत होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 15.08.2020 को प्रार्थी को किसी मुकाम पर किसी प्रकार की कोई धमकी नही दे प्रार्थी का विवादित आराजी के किसी हिस्से पर कोई कब्जा काश्त नही है। इसलिए किसी प्रकार की कोई अजीम क्षति पैदा नही होती । प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी नही है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 7 गलत होने के कारण अस्वीकार है। दिनांक 15.08.2020 को अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को कोई धमकी नही दे।

8. यह कि प्रार्थी का कोई प्राइमाफेसी केस नही है। तथा सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में साबित नही होता हैं। इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार व काबिज है उसे अगर टी.आई से पाबंद किया गया तो अप्रार्थी सं. 1 को अपरिमित क्षति होगी।

9. यह कि प्रार्थना प्रार्थी अगलत होने के कारण अस्वीकार है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जा कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2074 से 77 वाके परसवारा, नकल फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके परसवारा, नकल फोटो प्रति नामान्तकरण स. 5 वाके परसवारा, वारिसान प्रमाण पत्र श्री समन्दर सिंह दत्तक पुत्र मुरली जाट निवासी परसवारा, विवादित ख0न0 1119 में प्रतिवादीगण द्वारा गैर कानूनी रूप से निर्माण की जा रही पुख्ता बाउड्री बाल का फोटो दिनांक 3.10.2020, नकल फोटो प्रति भू प्रबन्ध विभाग संवत 2028 वाके परसवारा तहसील नदबई पेश किये गये।

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर

न्यायालय सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

गैरसायल / अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाव के समर्थना में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंन्दी संवत 2074 से 2077 वाके ग्राम परसवारा खाता स. 291 व 292, नकल फोटो प्रति असल परिवार राशन कार्ड दयाचन्द पुत्र समन्दरसिंह जाट निवासी परसवारा, नकल फोटो प्रति असल भामाशाह आधार रसीद पेश किये गये।

उभय पक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है जिसमें प्रार्थना पत्र की मदं स. 2 में वर्णित विविादित आराजी वाके ग्राम परसवारा तहसील नदबई पर स्थित है। जो कि उक्त आराजी पैत्रिक आरांजी है। जो कि मेरे पिता समन्दर को दत्तक पुत्र मेरे बाबा के भाई ने गोद लिया था। मुरली ने रतनसिंह के पिता को गोद लिया है। जिसका भी रिकार्ड पेश किया गया है। समस्त विवादित आराजी मुरली से प्राप्त हुई है। जिसकी जमाबन्दी संवत 2028 की पेश कि गई है। मुरली हमारे बाबा का भाई था, जमीन उनके नाम थी। हमारे चार भाई है चारो भाईयो का मौके पर बटवारा हो रहा है। परन्तु अब जमीन है जो कि सड़क में आ गई है। ... रकवा सड़क के पास है। तीन भाईयो ने रकवा दाब लिया है मुझे नही दे रहे है। मेरे द्वारा कहने पर भी एक नम्बर भी नही दिया गया है। कानून विवादित आराजी का बटवारा भी नही हुआ है। वादी शिक्षक था तथा बहार नौकरी पर था। मे बटवारे का दावा लाया हूँ जो अगस्त में पेश किया गया इनके द्वारा जुलाई में केवियट दर्ज करा दी थी। प्रकरण को तलवी में 2 माह भी हो गया है। ... नम्बरान सड़क के किनारे नम्बरान पर पक्का निर्माण कर बाउन्डी वालें कर गैट भी लगा दिये है। ... लिए उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है। पैत्रिक आराजी में प्रार्थी व गैर सायल स. 1 लगायत 4 का समान हिस्सा 1/5,1/5 कानून है। सभी अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग कर रहे है। इसलिए सायल का जन्म से ही अपना हिस्सा अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार प्राईमफेसी केस सुविधा का सन्तुलन मेरे हक में मौके पर मेरा कब्जा है तथा जोत बो रहा हूँ। परन्तु अच्छी में से अच्छी ... बुरी से बेरी आराजी में से मेरा हिस्सा दिया जावें। और कोई निर्माण नही करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे। इस संबंध में नजीर आर.बी.जे. 2005 पेज 405 मेरचन्द बनाम ओमप्रकाश वगैरा आर.आर.डी. 1990 पेज 32 कल्यानसिंह बनाम राज0 सरकार, आर.आर.डी. 1981 पेज 512 देवीलाल बनाम श्रमति फत्तुबाई बगै0 पेश की गई।

अप्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी वकील का कहना है कि उक्त विवादित आराजीयात की भूमि पैत्रिक भूमि है जो मुरली से समन्दर को समन्दर दत्तक पुत्र है ... कि दत्तक पिता से आई है। दूसरा कहना है कि उक्त विवादित आराजीया को मनवट से बटवारा ... रहा है, तो कौनसा खसरा नम्बर पर आप काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह कही भी प्रार्थी ने आपने दावा व प्रार्थना पत्र में अंकन नही किया गया। और ना ही यह बताया कि हम इस नम्बर पर काबिज है। तीसरा कहना है कि सड़क वाले नम्बर तीनो ने दाब लिए है तथा मुझे नही दे ... मनवट से बटवारा रींगल नही है। वादी शिक्षिक है जो खेत दिये है उन पर कब्जा है तो कौनसे खसरा नम्बरान पर कब्जा है घेर कर लिया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा दावा व प्रार्थन पत्र में निर्माण ... कही भी अंकन नही किया गया है। उक्त विवादित आराजी सयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

आराजी है। इधर दावा व प्रार्थना पत्र की मंद स. 3 में कह रहे है कि कि विवादित आराजी गैर सायल स. 1 की स्वअर्जित आराजी नही है विवादित आराजी गैरसायल स. 1 को उसके दत्तक पिता मृतक मुरली से विरासतन प्राप्त हुई। और मृतक मुरली वादी का बाबा था। तथा विवादित आराजी सायल के बाबा मुरली से विरासत प्राप्त होने के कारण अविभाजित हिन्दू परिवार की कृषि भूमि होने के कारण उस पर परिवार के सभी तथ्यों का बराबर हक व हिस्सा जन्म से ही निहित है इधर अविभाजित आराजी बता रहे तथा मौखिक बहस में मनवट अनुसार बटवारा होना बता रहे तो कुछ नम्बरान पर कब्जा बता रहे है कुछ पर नही बता रहे है। इस प्रकार आपस में दोनो बते विरोधाभास है। तथा मेरे इसमे कब्जा काश्त है तो प्रार्थी द्वारा कौनसी जमाबंन्दी खसरा गिरदावरी पेश किया जिससे साबित होता हो कि उक्त खसरा नम्बरान पर हमारा कब्जा काश्त है। सयुक्त परिवार का कोई राशन कार्ड , भामाशह कार्ड पेश नही किया गया है ऐसा कोई भी दस्तावेजी पेश नही किया गया । सयुक्त परिवार का सयुक्त राशन कार्ड भी होता है। ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे साबित हो कि सयुक्त परिवार हो। असल तथ्य यह है कि उक्त विवादित आराजी पर किसी भी हिस्से कोई कब्जा नही है। ये तो मनमानी बताते है कभी तो सयुक्त परिवार की आराजी तथा कभी मनवट से बताते है, तथा मुझे जो नम्बर दिये जो जोत बो रहा हूँ तो यह अलग-अलग बता रहे है। इनका जो दावा है जो 88,89,188 आर0टी0ए. का है उसमें प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 का लगाया है इनका कोई डिवीजनल होल्ड दफा 53 का दावा नही है। इधर दावा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 में 9 बहिन बता रहे है। प्रार्थी विवादित आराजी के 1/5 हिस्से पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने व खातेदारी दर्ज करापाने का अधिकारी नही है, यह हिस्सा दावा में तय होगे प्रार्थना पत्र 212 में हिस्सा तय नही होगे। जहां पर ऐसा विवादित दत्तक पिता के नाम जमीन आई हो दत्तक पुत्र को जमीन आई हो ऐसे मामले राईट्स केवल बावा में साक्ष्य लेने के बाद तय होगा कि हिस्सा कितना बनता है। इस प्रकार के प्रकरण में टी.आई. नहीं बनता है। तथा प्रथम यह है कि इनका विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है। दूसरा [illegible] खातेदार को किसी प्रकार के टी.आई. से पाबन्द नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा दावा व प्रार्थना पत्र क्लीनहैन्ड से पेश नही किया गया है। जहो पर तथ्यो को छुपाकर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है वहा पर कोई टी.आई. प्रदान नही कि जाती है। इस संबंध में नजीर आर.आर.डी. 2005 पेज 351-354 श्रीमति गीता बनाम श्रीमति जमना व अन्य वगै, आर.आर.डी. 1984 पेज 492-495 सरदार बनाम गिर्राजप्रसाद वगै0, आर.आर.टी. 2011-12 पेज 217-219 विद्यादेवी बनाम मांगीराम वगै0 आर. आर.टी. 2012(2)पेज 1439 पूरनचन्द बनाम गोपाल प्रसाद वगै0 आर.आर.टी. 2014(2) पेज 855 हरकचन्द बनाम शैलेन्द्रसिंह बगै0 आर.आर.टी. 2014 पेज 1168 रमेशसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह वगै0 आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 633 अवतार खान बनाम मेहरबानो वगै0, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 258 कमलेया बनाम रंनजीतसिंह वगै0, आर.आर.टी. 2014सी.सी.सी. 2014 (1) पेज 327 छोटूगीना बनाम आरोरियल वगै0 पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलो की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि:-

1. प्राईमाफेसी केस :- प्रार्थी द्वारा दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत खातेदारी घोषणा चाही गयी है। विवादित आराजी खाता सं. 292 के आराजी खसरा नम्बरान 100 स्तंभ

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर

न्यायालय सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

1085 है, 184 रकबा 0.30 है , 206 रकबा 0.20 है, 397 रकबा 0.34 है, 412 रकबा 0.3[illegible] किता [illegible]
414 रकबा 0.29 है, 68 रकबा 0.38 है, 689 रकबा 0.83 है, 72 रकबा 0.33 है, किता [illegible]
रकबा कुल 4.14 है, व खाता सं. 291 के आराजी खसरा नम्बरान 1113 रकबा 0.15 है, [illegible]
रकबा 0.13 है, 1119 रकबा 0.19 है, 1123 रकबा 0.05 है, 1168 रकबा 0.15 है, 1174 रकबा
0.17 है, 1190 रकबा 0.63 है, 12 रकबा 0.15 है, 1227 रकबा 0.38 है, 1228 रकबा 0.38 [illegible]
1277 रकबा 0.42 है, 1282 रकबा 0.06 है, 1291 रकबा 0.16 है, 1303 रकबा 0.14 है, [illegible]
रकबा 0.04 है, 1308 रकबा 0.13 है, 405 रकबा 0.04 है, 442 रकबा 0.12 है 446 रकबा 0.
06 है, 466 रकबा 0.17 है, 471 रकबा 0.20 है, किता 21 कुल रकबा 3.93 है। कुल किता 31
रकबा कुल 8.06 है। वाके मौजा परसवारा पटवार क्षेत्र परसवारा भू अभिलेख निरीक्षक [illegible] हुन्तारा तहसील नदबई मे स्थित है। जिस पर प्रार्थी द्वारा अपने हक की खातेदारी की घोषणा चाही गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से साबित है कि प्रार्थी विवादित आराजीयात [illegible] खातेदार काश्तकार नही है। जबकि विवादित आराजीयात पर अप्रार्थी स. 1 खातेदार [illegible] काबिज है। तथा प्रार्थी का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है। अप्रार्थी स. 1 [illegible] प्राकृतिक पिता मंगल था व अप्रार्थी स. 1 को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दत्तक पिता मूली [illegible] प्राप्त हुई आराजी है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से मूली की आराजी मे कोई हक प्राप्त नही हुआ है। तथा रिकार्ड मे भी प्रार्थी की खातेदारी का कोई अंकन नही हो रहा है ना ही रिकॉर्ड [illegible] काश्त का अंकन हो रहा है। ना ही प्रार्थी द्वारा मनवट के आधार पर अपना हिस्सा बताया [illegible] इसके अलावा अप्रार्थी स. 1 की 4 पुत्रिया भी है रामरति, सुशीला, तारावती व राजेन्द्री [illegible] उनको प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे मुकदमा पक्षकार भी नही बनाया गया है, जो कि आवश्यक [illegible] पक्षकार है। जो कि विवादित आराजीयात मे इनका हक निहित है। प्रार्थी [illegible] नही आया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का कोई हक नही बनता है। अतः काबिज रिकॉर्ड [illegible] खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी [illegible] प्राईमाफेसी केस नही बनता है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है।

2. सुविधा का संतुलन :— प्राईमाफेसी केस अ के हक मे है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी [illegible] हक मे है।

3. अपूर्ण क्षति :— चूंकि अप्रार्थी स. 1 रिकॉर्ड खातेदार को टी.आई. से पाबन्द किया जाता है [illegible] उनके हक व खातेदारी अधिकारो का कुठारघात होगा तो अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थी को होगी [illegible]

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 [illegible] अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज [illegible])
सहायक कलक्टर
20/11/[illegible]

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
न्यायालय सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)